रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072024-255242
CG-DL-E-06072024-255242

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2475] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 4, 2024/ आषाढ 13, 1946
No. 2475] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 4, 2024/ ASHADHA 13, 1946

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2024

का.आ. 2610(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्रकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 410(अ), दिनांक 31 जनवरी, 2024, भारत के राजपत्र सं० 386 दिनांक 01 फरवरी, 2024 में प्रकाशित की गई थी, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनीर्दिष्ट भूमि में गुजरात राज्य में "कांडला-गोरखपुर पाईपलाइन पारियोजना" हेतु तालुका-लिमखेड़ा, जिला-दाहोद, राज्य-गुजरात में एल. पी. जी. के परिवहन हेतु आई॰एच॰बी॰ लिमिटेड द्वारा पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबन्धित भू-स्वामियों को दिनांक 7 फरवरी 2024 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और श्री अवलाभाई खातराभाई बारीआ, सक्षम प्राधिकारी और डिप्टी कलेक्टर (सेवानिवृत्त) कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन परियोजना, आई.एच.बी. लिमिटेड, गुजरात ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमे उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार,उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनीर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आई॰एच॰बी॰ लिमिटेड में निहित होगी;

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंन अधिनियम,1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई॰एच॰बी॰ लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदाई होगा और पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी |

अनुसूची

तहसील : लिमखेड़ा **जिला :** दाहोद **राज्य :** गुजरात

मौजा / ग्राम	सर्वे / ब्लाक / सं.	सब-डीव-सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
रई	197		00	16	10
	76		00	23	66
चिलाकोटा	509		00	02	40
	6		00	08	10

[फा. सं. आर 11025(15)/11/2019-ओआर-I-पार्ट-I/ई-45901]

शशि शेखर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2024

S.O. 2610(E).— Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S. O. No. 410(E), dated 31 January, 2024, published in the Gazette of the India No-386 dated 01 February, 2024, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying "Kandla-Gorakhpur Pipeline Project" for the transportation of LPG in Taluka: Limkheda of Dahod District in the state of Gujarat by IHB Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 07 February, 2024.

And whereas Shri Avalabhai Khatarabhai Baria, Competent Authority and Deputy Collector (Retd.), Kandla Gorakhpur LPG Pipeline Project, IHB Limited, Gujarat has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date publication of this declaration, in IHB Limited, free from all encumbrances.

IHB limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Tehsil: Limkheda	**District:** Dahod		**State:** Gujarat		
Mouja / Village	**Survey / Block No.**	**Sub-Div-No.**	**Area**		
			Hectare	**Are**	**Sq.mtr.**
Rai	197		00	16	10
	76		00	23	66
Chilakota	509		00	02	40
	6		00	08	10

[F. No. R- 11025(15)/11/2019-OR-I-Part-I/E-45901]

SHASHI SHEKHAR SINGH, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.07.06 11:54:39 +05'30'